

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करोली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (अपस्थित)

प्रकरण संख्या-136/2023

दाखल दिनांक- 04.08.2023

सीपीएमएस नं. 2023/329

उपनाम

मोहन पुत्र घनश्याम जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील सूरुठ जिला
करोली

सायलान-02

बनाम

केवल पुत्र घनश्याम जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन
जिला करोली राज0

—गैरसायलान-04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान व सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान व सायलान वकील वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान व सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 31.08.2023 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान व सायलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है एवं सायलान व सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 136/23 मोहन बनाम केवल आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन